न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सुनिता यादव (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2018	21.12.2018	06.03.2020

उनवान

1. हरनारायण उर्फ हरिनारायण पुत्र बुद्धराम जाति चमार नि0 सुखमनहेड़ी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 (मृतक)

1/1 श्रीचन्द पुत्र हरनारायण

1/2 हरचन्द पुत्र हरनारायण

1/3 फूलचन्द पुत्र हरनारायण

1/4 सुमन देवी पुत्री हरनारायण जाति चमार नि0 सुखमनहेड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. हरिराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट नि0 तिहाड़ा तह0 बावल जिला रेवाड़ी (हरि0)
2. पतराम
3. मानसिंह पुत्रान जुगलाराम
4. राजु
5. विजय कुमार पुत्रान रामचन्द्र
6. नानगी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट नि0 सुखमनहेड़ी तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
7. गीता देवी पत्नी सत्यवीर
8. बिन्दु देवी पत्नी राजेन्द्र
9. उषा देवी पत्नी जगतसिंह जातियान जाट नि0 रायपुर जाटान तह0 कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
10. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र–अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 06/03/2020

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि मिन प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 414/1.14, 415/1.39 वाके ग्राम सुखमनहेड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि तथा आम रास्ते के मध्य जो छोटी दूरी पडती है उसमें ख0न0 369, 370, 412 स्थित है तथा ख0न0 369, 370 का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 1 हरिराम के नाम तथा ख0 न0 412 का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर)

2, 3 तथा 4 ल0 9 के पिता, पति रामचन्द्र के नाम दर्ज है। चूंकि रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है इसलिए रामचन्द्र के वारिसान 4 ल0 9 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थी की उक्त आराजी तक जाने के लिए दीगर जगह से या वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजी में से आता–जाता रहा है परंतु फसल बुवाई के बाद केवल पगडंडी डोल के उपर से जाने का रास्ता रह जाता है, फसल के समय वाहनों का आवागमन बंद हो जाने से कृषि से संबंधित कोई उपकरण लाने ले जाने, कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए वाहन अपने आराजी तक नहीं ले जा सकता तथा परेशानी में प्रार्थी मान मनुहार करके कभी प्रार्थीगण की आराजी में से, कभी दूसरे की आराजी में से आकर फसल बुवाई करते है। मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण से रास्ता के बाबत रकम देने व रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की बात भी कर चुके है। प्रार्थी की आराजी तक अप्रार्थीगण की आराजी की पूर्वी डोल के साथ–साथ करीब 580 फुट लम्बा एवं 12 फुट चौडाई का रास्ता प्रार्थी चाहता है का निवेदन करते हुये खसरा नंबर 370, 369, 412 वाके ग्राम सुखमनहेड़ी तहसील मुण्डावर में से पूर्वी डोल के साथ–साथ उत्तर दक्षिण लम्बाई 580 फुट व चौडाई 12 फुट का रास्ता यानी रास्ते की कुल भूमि 6960 वर्ग फुट के बदले ऐवज में समान रकबा भूमि या बाजार मूल्य की दो गुनी राशि की ऐवज में रास्ता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी संख्या 1 ल0 9 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये एवं अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के जिमनों को अस्वीकार करते हुये मुताबिक जवाब निवेदन रहा कि विवादित आराजी तक पश्चिम से आम रास्ता मौके पर चालू है। इस रास्ते में कुछ भाग राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रूप से दर्ज है परंतु रिकॉर्ड में रास्ता अंकित नहीं है जिसकी आड में अप्रार्थीगण की खातेदारी में से रास्ता लेना चाहते है जबकि अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता काफी लम्बी दूरी तय करनी पडती है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत नाप अंकित की है व जबरन तंग व परेशान करने की नीयत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 412 का वाद अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर में विचाराधीन है तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश जारी है आदि–आदि अंकित करते हुये प्रार्थी की प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर जरिये पत्रांक 1 दिनांक 10.01.2019 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हुई। मुताबिक प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौका व नक्शा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होना अंकित करते हुये खसरा नंबर 370, 369 एवं 412 की पूर्वी मेड के साथ – साथ आराजी ख0न0 414 की उत्तरी मेड तक रास्ते के बाबत मय नजरी नक्शा खसरा नंबर 370 में से 68×4 = 272 वर्ग मीटर ख0न0 369 में 68 × 4 = 272 वर्ग मीटर एवं

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

खसरा नंबर 412 में से 82 × 4 = 328 वर्ग मीटर कुल 872 वर्ग मीटर रास्ते के बाबत का क्षेत्रफल का आंकलन कर रिपोर्ट पेश की गई है।

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के जिमनों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 370, 369, 412 वाके ग्राम सुखमनहेड़ी तहसील मुण्डावर की पूर्वी डोल के साथ–साथ मुताबिक प्राप्त तहसीलदार मुण्डावर की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2019 के अनुसार रास्ते के बाबत कुल निर्धारित 872 वर्ग मीटर रकबे का बाजार मूल्य की दो गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिये जाने की सहमति व्यक्त करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज रिकॉर्ड कराया जाने का निवेदन किया एवं प्रार्थना पत्र के संबंध में नजीर आर आर टी 2017 पेज 980 एवं आर आर टी 2018 पेज 1193 एवं आर आर टी 2015 पेज 1003 प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक प्राप्त तहसीलदार रिपोर्टानुसार चाहे गये रास्ते के बाबत कुल 872 वर्ग मीटर रास्ते के क्षेत्रफल का बाजार मूल्य से दो गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलाया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाया जाने का निवेदन रहा। ठीक इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिमनों को सिरे से अस्वीकार करते हुये अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिमनों को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावलियों में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं नजीरात का गहनता से अध्ययन किया गया जिसके आधार पर वकील प्रार्थी द्वारा किया गया अभिकथन कि अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 370, 369, 412 वाके ग्राम सुखमनहेड़ी तहसील मुण्डावर की पूर्वी डोल के साथ–साथ मुताबिक प्राप्त तहसीलदार मुण्डावर की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2019 के अनुसार रास्ते के बाबत कुल निर्धारित 872 वर्ग मीटर रकबे का बाजार मूल्य की दो गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिये जाने की सहमति व्यक्त करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज रिकॉर्ड कराया जाने का निवेदन किया एवं प्रार्थना पत्र के संबंध में नजीर आर आर टी 2017 पेज 980 एवं आर आर टी 2018 पेज 1193 एवं आर आर टी 2015 पेज 1003 प्रस्तुत किये। जिनके मुताबिक आर आर टी 2017 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 251ए – नया रास्ता स्वीकृत करना – आवेदक के खेत पर जाने हेतु रास्ता नहीं–वैकल्पिक रास्ता प्राकृतिक बाधाओं से युक्त है व रेतीला है–निर्णीत, नया रास्ता स्वीकृत करने के आदेश न्यायसंगत है तथा मुताबिक आर आर टी 2018 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 251 ए – एस. डी. ओ. ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की – अंतरिम आदेश – कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है – प्रार्थी को नोटिस नहीं दिया – आदेश अपास्त किया तथा मौका निरीक्षण करने और न्यून से न्यून सुगम व सुविधाजनक रास्ता जोतो पर पहुंचने हेतु मंजूर किया जावे एवं आर आर टी 2015 पेज संख्या 1003 के अनुसार भी राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 251ए – आम रास्ते को खुलवाने हेतु सिविल वाद खारिज किया–अनावेदक ने फिर 251ए के अंतर्गत आराजी नंबर 490 के सहारे रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया–एस.डी.ओ. ने रुपये 25160 जमा कराने के निर्देश दिये और रास्ता कायम करने का आदेश दिया – राजस्व अपील अधिकारी ने आदेश के विरूद्ध स्थगन नहीं दिया – निगरानी – रास्ता का मूल्य भुगतान करने पर रास्ता प्रदान करने से धारा 251ए संबंधित है–सिविल न्यायालय का निर्णय बाधा नहीं है – निर्णीत निगरानी पोषणीय नहीं है व खारिज की आदि के अंकन के आधार पर बाद अवलोकन यह न्यायालय वकील प्रार्थी द्वारा समस्त प्रस्तुत नजीरात प्रार्थना पत्र पर चस्पा होना पाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण के आराजी खसरा नंबर 414, 415 वाके ग्राम सुखमनहेड़ी तहसील मुण्डावर तक पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 370, 369, 412 वाके ग्राम सुखमनहेड़ी तहसील मुण्डावर में से मुताबिक प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर पत्र कमांक 01 दिनांक 10.01.2019 प्रदर्श–अ के अनुसार रास्ते हेतु प्रयुक्त कुल रकबा 872 वर्ग मीटर के बाबत वर्तमान डी.एल.सी. दर से दो गुना राशि भुगतान किये जाने की शर्त पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं मुताबिक उक्त रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार मुण्डावर से रकबा 872 वर्ग मीटर की राशि के बाबत की गणना कराई जाकर गणनानुसार प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा राजकोष करायी जाने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को राशि की गणना एवं बाद गणना प्रार्थीगण को राशि जमा कराये जाने के बाबत एवं वर्तमान मे मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में 100 रू0 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रार्थीगण उक्त गणना के अतिरिक्त राशि जमा कराने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार ही अहकाम जारी हो। बाद राशि जमा राजकोष तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार रास्ते के बाबत का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन करे। प्राप्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 10.01.2019 प्रदर्श – अ निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

sd/- 06/03/2020

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)